

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

संख्या नोएडा/वरि0न0नि0 / III- 180 / 449

दिनांक: 9-9-11

सेवा में,

मै0 आम्रपाली सफायर डवलपर्स (प्रा10) लि0
307, तृतीय तल, निपुन टॉवर, कम्युनिटी सैन्टर,
कडकडडूमा दिल्ली - 110092

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 8.06.11 के संदर्भ में आप द्वारा संशोधन सहित प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन निर्माण की भूखण्ड संख्या जीएच - 03, सैक्टर - 45, नोएडा पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है -

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मॉगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव(प्रोजेक्टेड) न हों।
6. विजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौक़े पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसिफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेंगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।
15. उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 1973 तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ सलग्न है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा करने के लिए अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को गंगा नदी में न डालें।

- भूखण्ड का क्षेत्रफल 51,170.00 वर्ग मी0
- अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 35 % 17909.50 वर्ग मी0
- अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 2.75 1,40,717.50 वर्ग मी0

विभिन्न तलों पर किये गये पुनरीक्षित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तल	अनुमन्य क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	स्वीकृत क्षेत्रफल एफ.ए.आर. (वर्ग मी0)	पुनरीक्षित क्षेत्रफल एफ.ए.आर. (वर्गमी0)
भूतल	20,468.80	8045.635	7753.75
प्रथम तल	शेष एफ0ए0आर0	7165.193	6906.52
द्वितीय तल		7165.193	6906.52
तृतीय तल		7165.193	6906.52
चतुर्थ तल		7165.193	6906.52
पंचम तल		7165.193	6906.52
छटवां तल		7165.193	6906.52
सातवां तल		7165.193	6906.52
आठवां तल		7165.193	6906.52
नौवा तल		7165.193	6906.52
दसवां तल		7165.193	6906.52
ग्यारहवां तल		7165.193	6906.52
बारवां तल		7165.193	6715.94
तेरहवां तल		7165.193	6715.94
चौदहवां तल		7165.193	5504.08
पन्द्रहवां तल		6180.143	5421.32
सोलहवां तल		6180.143	5351.60
सत्रहवां तल		5773.784	4615.68
अट्ठारहवां तल		5773.784	4345.46
उन्नीसवां तल		3421.952	4345.46
बीसवां तल		2053.420	4345.46
इक्कीसवां तल		1247.430	4228.24
बाइसवां तल		564.970	2442.36
तैईसवां तल		388.430	839.24
चौवींसवां तल		—	414.16
बने हुए तल का सर्विसेज एरिया एफ.ए.आर. के अन्तर्गत		—	247.84
कुल एफ.ए.आर.	1,40,717.50	139942.393	139258.25
वाणिज्यक	1407.175	383.70	1400.00

Y. K. J.

तहखाना	सेटबैक छोड़ने के पश्चात शेष क्षेत्रफल (पार्किंग/सर्विसेज हेतु)		
अपर तहखाना		34872.00	41205.00
लोअर तहखाना		34872.00	41205.00
		69744.00	82410.00
सेवा क्षेत्रफल 15%	21107.625	...	17894.51
पूर्व में स्वीकृत कुल क्षेत्रफल	$= 139942.393 + 300.00 + 383.70 + 69744.00$ $= 210370.093$ वर्ग मी०		
कुल पुनरीक्षित क्षेत्रफल	$= 139258.25 + 1400.00 + 82410.00 + 17894.51$ $= 240962.76$ वर्ग मी०		

पुनरीक्षित क्षेत्रफल

= 240962.76 वर्ग मी०

पुनरीक्षित एफ०ए०आर०

= 140658.25 वर्ग मी०

Map for proposed Building is as per the
have submitted for approval please

[Signature]
Asstt. Asstt.

Asstt. Asstt. Asstt.

नाम.....
पद.....

मो.एड्डा
07/9/17

प्रतिलिपि:

1. सहा० महप्रबन्धक (ग्रुप हाउसिंग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।